221

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 8–3/2009/आ0प्र0/एक, भोपाल, दिनांक 31/7/09

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश ।

विषय :– रिट याचिका क्रमांक–6722/08, श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य मे पारित आदेश के अनुसरण में कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना ।

–0–

विषयांकित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2008 के अनुपालन मे शासकीय सेवा में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की निःशक्तजनों की जांच हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.01.2009 द्वारा जिला मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया है। (प्रति संलग्न)

2/ अतः शासकीय सेवा में निःशक्तजनों के आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों की विकलांकगता की जांच नवगठित " **जिला बोर्ड** " से करवाने हेतु अपने अधिनस्थ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 8–3/2009/आ0प्र0/एक, भोपाल, दिनांक 31/7/09

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर उनके पत्र क्रमांक 1765/21–ब(एक)/09, दिनांक 27.06.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उप सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग की ओर उनकी अधिसूचना क्रमाक एफ 577–08–छब्बीस–2, दिनाक 31.12.2008 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. अवर सचिव, म0प्र0शासन, साप्रवि(कक्ष–8) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

16/218(12...)
15/1/09

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2009—पौष 19, शक 1930

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मिडि-2.—निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 के नियम 7-क के उपनियम (1) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए भोपाल में **राज्य अपीलीय चिकित्सा मण्डल** का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश	—	अध्यक्ष
(2) संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश	—	सदस्य
(3) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का डीन	—	सदस्य
(4) विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के दो प्रोफेसर (विशेषज्ञता/निःशक्तता (इम्पेयरमेन्ट)/निःशक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ).	—	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2-239-73-2-1-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

Bhopal, the 9th January 2009

No.F-8-1-01-XVII-Med-2.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 7-A of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1997, the State Government, hereby, constitutes the State Appellate Medical Board at the Bhopal consist of following members for the purpose of the said rules, namely:—

(1)	Director, Medical Education, Madhya Pradesh	—	Chairman
(2)	Director, Medical Services, Madhya Pradesh	—	Member
(3)	Dean, Gandhi Medical College, Bhopal	—	Member
(4)	Two Professors of various Government Medical Colleges, (each concerned Specialty/Impairment/Disability) as nominated by Chairman.	—	Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JAISHRI KIYAWAT, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2.—नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 के नियम 7 के उपनियम (1) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए संभागीय अपीलीय चिकित्सा मण्डल का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1)

1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का डीन	—	अध्यक्ष
2.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मेडिसिन का प्रोफेसर	—	सदस्य
3.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का प्रोफेसर [विशेषज्ञता/नि:शक्तता (इम्पेयरमेन्ट)/नि:शक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ].	—	सदस्य
4.	सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक (उस जिले का, जहां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है).	—	सदस्य

(2) ऐसे संभागों के लिए जहां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है या जहां वर्तमान में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिंक/रेफरल हेतु व्यवस्था निम्नानुसार होगी:—

अनुक्रमांक (1)	संभाग का नाम (2)	संभागीय अपीलीय चिकित्सा मण्डल (3)
1	सागर	भोपाल
2	नर्मदापुरम	भोपाल
3	शहडोल	रीवा
4	चंबल	ग्वालियर
5	उज्जैन	इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

(3) सिविल सर्जन द्वारा नामनिर्दिष्ट शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ [जहां तक संभव हो विशेषज्ञता/निःशक्तता/निःशक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ, नहीं मिलने पर कोई चिकित्सा विशेषज्ञ]. — सदस्य

टीप.—यदि सरल क्रमांक (2) पर ऐसा विशेषज्ञ जिले में उपलब्ध न हो, तो सिविल सर्जन संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवा की अनुज्ञा से उसी संभाग से लगे हुए जिले के विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2-239-73-2-1-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

Bhopal, the 9th January 2009

No.F-8-1-01-XVII-Med-2.—In pursuance of Rule 4 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1997, the State Government, hereby, constitutes the **District Medical Board** in the State consist of following members for the purpose of the said rules, namely:—

(1) District Health Officer (Civil Surgeon) (as a representative of Zila Panchayat). — Chairman

(2) Medical Specialist nominated by Civil Surgeon (Concerned specialty/Impairment/Disability). — Member

(3) Medical Specialist nominated by Civil Surgeon (as for as possible of Concerned Specialty/Impairment/ Disability, otherwise any Medical Specialty) — Member

Note.—If such specialist as mentioned at Serial No (2) is not available in the District then Civil Surgeon with permission of Joint Director, Health Services may nominate specialist of adjoining district of the same Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JAISHRI KIYAWAT, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2-239-73-2-1-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

Bhopal, the 9th January 2009

No.F-8-1-01-XVII-Med-2.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 7 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1997, the State Government, hereby, constitutes the **Divisional Appellate Medical Board** at Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Rewa consist of following members for the purpose of said rules, namely:—

(1) 1. Dean of Government Medical College — Chairman

2. Professor of Medicine of Government Medical College — Member

3. Professor of Government Medical College (concerned Specialty/Impairment/Disability). — Member

4. Civil Surgeon-Cum-Chief Hospital Superintendent (District where Medical College is situated). — Member

(2) For such divisions where there is no Government Medical College, or where the Medical College is not functioning at present, the link/referral arrangements will be as under:—

S. No. (1)	Division Name (2)	Divisional Appellate Medical Board (3)
1	Sagar	Bhopal
2	Narmada Puram	Bhopal
3	Shahdol	Rewa
4	Chambal	Gwalior
5	Ujjain	Indore

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JAISHRI KIYAWAT, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2.—नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए राज्य में **जिला चिकित्सा मण्डल** का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सिविल सर्जन). (जिला पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में). — अध्यक्ष

(2) सिविल सर्जन द्वारा नामनिर्दिष्ट शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ [विशेषज्ञता नि:शक्तता (इम्पेयरमेन्ट)/नि:शक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ]. — सदस्य

(2) If any Appointing Authority raises any objection or doubt regarding disability certificate, in case of employees recruited at district level may refer the case to Divisional Appellate Medical Board as specified in sub-rule (1) of rule 7 and in case of State Level recruitment, the Appointing Authority may refer the case to State level Medical Board as specified in sub-rule (1) of rule 7-A.

(3) The referral Medical Board as specified above, after examining and hearing the person concerned may pass an order or report thereon. The decision of the referral Medical Board thereon shall be final.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि कर्णावत, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.